

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमंद

क्रमांक: / वनअधिनियम / बैठक / 2016-17-559-66

दिनांक: 12-06-2016

बैठक कार्यवाही विवरण

वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की प्रवृत्ति के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.08.2016 को प्रातः 11.30 बजे जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएँ एवं सदस्यगण उपस्थित हुए -

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमंद-सदस्य सचिव।
2. उप वन संरक्षक, राजसमंद-सदस्य।
3. सहायक अभियन्ता चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना, खण्ड आसीन्द।

बैठक में चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की ग्राम नालोई लालपुरा से भादसी तक सड़क किनारे पाईप लाईन बिछाने के लिए तहसील भीम के ग्राम नालोई लालपुरा वन क्षेत्र से गुजरने वाली पाईप लाईन लाईन के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि पर अनुसूचित जन जातियों एवं परम्परागत वन निवासियों के अधिकारों का समाधान किया जाना है।

उप खण्ड अधिकारी, भीम की अध्यक्षता में आयोजित उप खण्ड स्तरीय बैठक के कार्यवाही विवरण दिनांक 13.06.2016 के अनुसार ग्राम नालोई लालपुरा के आराजी नं. 531 में से 3100 मीटर लम्बाई में चम्बल भीलवाड़ा परियोजना के अन्तर्गत 1 मीटर चौड़ाई में पाईप लाईन बिछाई जानी है। उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का अक्रिमण अथवा वनाधिकार का दावा लम्बित नहीं है। इस प्रकार पेयजल परियोजना ने आ रहे ग्राम नालोई लालपुरा के वन क्षेत्र में अनुसूचित जन जातियों एवं परम्परागत वन निवासियों के किसी प्रकार के अधिकार निहित नहीं हैं। ग्राम नालोई लालपुरा ग्राम पंचायत अजीतगढ़ तहसील भीम की ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.02.2016 अनुसार ग्राम सभा में वन भूमि से पेयजल परियोजना हेतु 3100 मीटर लम्बाई में तथा 1 मीटर चौड़ी वन भूमि उपयोग की स्वीकृति दी गई है।

उपरोक्तानुसार ग्राम सभा अजीतगढ़ एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम की अध्यक्षता में वनाधिकार समिति बैठक दिनांक 13.06.2016 की रिपोर्ट अनुसार नालोई लालपुरा के वन क्षेत्र के उपर वर्णित खसरान् कुल किता 1 की 3100 मीटर लम्बाई एवं 1 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र 3100 वर्ग मीटर (0.31 है०) को चम्बल भीलवाड़ा परियोजना के पक्ष में प्रत्यावर्तन के लिए किसी भी स्तर पर आपत्ति नहीं होने से जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति व्यक्त की जाती है।

बैठक मधन्यवाद समाप्त हुई।


सदस्य सचिव
जिला स्तरीय समिति
(वन अधिकार अधिनियम)
राजसमंद

क्र.सं. वन अधिनियम / बैठक / 2016-17 / 559-560

दिनांक- 12-08-2016

प्रतिनिधि - निम्न को सूचनार्थ पारितार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत राजसमंद,
2. प्रभारी अध्यक्ष वन अधिनियम विभाग कलेक्टर, राजसमंद
3. उप वन संरक्षक, राजसमंद।
4. अधिशासी अभियन्ता, चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना, खण्ड-आसीन्द।
5. उप खण्ड अधिकारी, भीम।
6. सदस्य जिला स्तरीय वनधिकार समिति राजसमंद।
7. ग्राम पंचायत अजीतगढ़ तह, भीम जिला राजसमंद।


सदस्य सचिव
जिला स्तरीय समिति
(वन अधिकार अधिनियम)
राजसमंद